

संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए)  
भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001  
दिनांक: 28 अक्टूबर, 2021

### आदेश

अधोहस्ताक्षरी, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2) (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह निदेश देता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के 21 सितंबर, 2021 के अ.शा. संख्या जेड.28015/85/2021-डीएम प्रकोष्ठ के तहत यथासंसूचित, कोविड-19 के तत्काल और प्रभावी रोकथाम उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय का 28 सितंबर, 2021 का समसंख्यक आदेश 30 नवंबर, 2021 तक प्रभावी रहेगा।

ह०/-  
केन्द्रीय गृह सचिव  
और अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी)

#### सेवा में:

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक  
(संलग्न सूची के अनुसार)

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ:

- i. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सभी सदस्य
- ii. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण